संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–अवन्तिका–पृष्ठ 03...दिनांक 3/4/.....2021

# नागरिकों के सहयोग से स्वच्छता में रतलाम बनेगा नंबर1

## नगर के सभी ४९ जीरो वेस्ट वार्डो में घर-घर से किया जा रहा है कचरा एकत्रीकरण

दैनिक अवन्तिका ▸▸ रतलाम।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर के सभी 49वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है जिसके तहत स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी किया जा रहा है इस कार्य में रतलाम नगर के नागरिक भी जागरूक हो चुके है नागरिकों के सहयोग से ही रतलाम नगर स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में न [illegible]र-1 बनेगा।

निगम आयुक्त सोमनाथ झा[illegible] ने बताया कि नगर के सभी 49 वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने से वार्डों की सड़कों, गलियों एवं नालियों में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरो, दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वंय गीले एवं सूख्खे कचरे पृथक्कीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा भी पूरा सहयोग किया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली किया जाकर रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित किया जा रहा है।

वार्डों में कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, ईंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित किया गया। नागरिकों से अपील जाती है कि वे अपने घरो एवं दुकानों से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक कचरा पात्रों में एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक डाला जायेगा। गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इसलिये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद किया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें कि इसका भण्डारण कहां होता है व विक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर पांच हजार का स्पॉट फाईन किया जाये।

अवन्तिका-3

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार- दै. भास्कर -पृष्ठ 09 दिनांक 3/4/2021

**बेकाबू संक्रमण** • नवंबर में गुलमोहर कॉलोनी, काटजू नगर और सिंधी कॉलोनी को किया था सील, इसके बाद एक घर के ही बनने लगे थे कंटेनमेंट

# 130 दिन बाद कंटेनमेंट की वापसी: आपकी गली के दो से ज्यादा घरों में पॉजिटिव सामने आए तो सबको रहना पड़ेगा क्वारेंटाइन

भास्कर संवाददाता | रतलाम

हमारे शहर में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। एक्टिव केस 600 से ज्यादा हो गए हैं... 80 से ज्यादा पॉजिटिव एक दिन में ही सामने आ रहे हैं। इधर... अब कंटेनमेंट की भी वापसी हो गई है। शुक्रवार को शहर के 2 इलाकों की गलियों को सील किया गया। ऐसा 130 दिन बाद हुआ है। अब शहर में जिस भी गली में 2 से ज्यादा घर में पॉजिटिव मिलते हैं, उस गली को कंटेनमेंट बनाया जाएगा। अधिकारियों का दावा है कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए किया जा रहा है।

शुक्रवार को काटजू नगर और दीनदयाल नगर नगर में कंटेनमेंट बनाए गए। दोनों ही इलाकों की उन गली को कंटेनमेंट बनाया गया, जहां 2 से ज्यादा घर के लोग संक्रमित मिले थे। इससे पहले 24 नवंबर को गुलमोहर कॉलोनी में 55 मकानों को सील किया था, वहीं 27 नवंबर तक काटजू नगर व सिंधी कॉलोनी के लोग घरों में थे। हालांकि, इसके बाद गली को कंटेनमेंट नहीं बनाया गया, एक घर का कंटेनमेंट बन रहा था।

## गाइडलाइन में बदलाव : संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए अफसरों ने गलियों को सील करने का फैसला किया

काटजू नगर में दो घरों से पॉजिटिव मिलने के बाद रविवार को इस तरह पूरी गली को बना दिया है कंटेनमेंट एरिया। फोटो | राकेश पोरवाल

**शहर के इलाकों की बन रही है लिस्ट**- इधर, कोविड की एक टीम ऐसे इलाकों पर नजर रख रही है, जिस गली में दो से ज्यादा पॉजिटिव मिले है। हालांकि, पॉजिटिव अलग-अलग घर में होना चाहिए। यदि एक ही घर में 4 या 5 संक्रमित है, तो सिर्फ घर को ही सील किया जा रहा है। इधर, शहर के कुछ अन्य इलाके भी जल्द ही कंटेनमेंट बन सकते हैं।

**100 से ज्यादा लोगों को भेजा अस्थायी जेल** - इधर, संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच कुछ लोग लापरवाही बरतने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासनिक अमले को शुक्रवार को 100 से ज्यादा लोग बिना मास्क के घूमते हुए मिले। सभी को अस्थायी जेल में भेजा गया। करीब दो घंटे जेल में रखने के बाद समझाइश देकर छोड़ा गया। भास्कर-3

### अप्रैल-मई 2020 में बन रहे थे बड़े कंटेनमेंट

**10 अप्रैल** - शहर में अब तक का सबसे बड़ा कंटेनमेंट बना था। यह 3 किमी का था। इसमें मोचीपुरा, बाईजी का वास, धभाईजी का वास, शेरानीपुरा शामिल थे। यहां 6 संक्रमित मिले थे।

**12 मई**- सिद्धांचलम कॉलोनी में 400 मीटर का कंटेनमेंट बना था।

**20 मई** - जवाहर नगर में 200 मीटर का कंटेनमेंट।

**31 मई** - काटजू नगर में 100 मीटर का कंटेनमेंट।

**14 जून** - शेरानीपुरा जमातखाने में 50 मीटर का कंटेनमेंट बना। इसके बाद तीन घर के कंटेनमेंट बनने लगे।

**1 अगस्त** - एक घर का ही कंटेनमेंट बनने लग गया था, अब कंटेनमेंट नहीं बनाए जा रहे है।

**24 नवंबर** - गुलमोहर कॉलोनी में 55 मकान को कंटेनमेंट बना दिया गया। कॉलोनी में 10 से ज्यादा पॉजिटिव आए थे।

**27 नवंबर** - शहर के तीन इलाकों की गली कंटेनमेंट बन गई थी।

**2 अप्रैल** - काटजू नगर की एक गली को कंटेनमेंट एरिया बनाया। बीच में सिर्फ एक घर को कंटेनमेंट बना रहे थे।

**चेन तोड़ने के लिए निगरानी शुरू की** - *एक गली में दो से ज्यादा घर में पॉजिटिव है तो पूरी गली को कंटेनमेंट एरिया बना रहे हैं। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी है। हमारी टीम लगातार ऐसे इलाकों पर नजर रख रही है। मास्क नहीं पहनने वालों को अस्थायी जेल भेजा जाएगा। -* **अभिषेक गेहलोत**, *एसडीएम, रतलाम शहर*

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– स्वदेश ––– पृष्ठ 04 ... दिनांक 3/4/ ..... 2021

# गंदगी करने व पॉलीथीन विक्रय व उपयोग करने वालों की सूचना दें

**रतलाम ● स्वदेश समाचार**

नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना किए जाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाइन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में विराट मेहरा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकानें सील करने की कार्रवाई करेंगे। स्वदेश-3

# पॉलीथीन का उपयोग करने व गंदगी करने पर दस व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। 50 माईक्रॉन की पॉलीथीन का उपयोग करने व गंदगी करने पर शुद्ध दुध भण्डार, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट चौमुखी पुल पर एक-एक हजार, सांवरिया साड़ीजे, कन्हैया स्वीट्स चौमुखी पुल, उजक्का, सुपर गारमेंटस, पूर्णिमा साड़ी नौलाईपुरा, श्रेणिक पोहावाला कोर्ट तिराहा पर 500-500, अनुराज गारमेंट घांस बाजार पर 300, सब्बीन घांस बाजार पर 200 रुपए का जुर्माना किया गया साथ ही नगर के विभिन्न क्षेत्रों में बगैर मास्क वाले 15 व्यक्तियों पर 100-100 रुपए का जुर्माना किया गया। जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, उप स्वच्छता निरीक्षक विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिंदे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा। अवन्तिका-3

# अनुपस्थित 25 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

रतलाम ● निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में 01 अप्रैल को 25 सफाई संरक्षकों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थायी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थायी कर्मचारियों को निलंबित किए जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। स्वदेश-3

# अनुपस्थित 25 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

रतलाम। निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में 01 अप्रैल गुरुवार को 25 सफाई संरक्षकों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थायी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थायी कर्मचारियों को निलंबित किए जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। प्रसारण-3

# 10 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम ● नगर निगम द्वारा 50 माईक्रॉन की पॉलीथीन का उपयोग करने व गंदगी करने पर शुद्ध दुध भण्डार, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट चौमुखी पुल पर 1000-1000, सांवरिया साड़ीज, कन्हैया स्वीट्स चौमुखी पुल, पूर्णिमा साड़ी नौलाईपुरा, श्रेणिक पोहावाला कोर्ट तिराहा पर 500-500, अनुराज गारमेंट घांस बाजार सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में बगैर मास्क वाले 15 व्यक्तियों पर 100-100 रुपए का जुर्माना किया गया। स्वदेश-3

# बचाव के लिए दो दिन का टोटल लाकडाउन, वैक्सीन लगवाने जा सकेंगे

## सख्ती ● संक्रमण पर काबू पाने की कवायद, मास्क नहीं पहनने पर 100 से ज्यादा लोगों को अस्थायी जेल में रखा

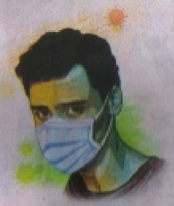

रतलाम के काटजू नगर में बनाया गया कंटेनमेंट एरिया। ● नईदुनिया

मास्क नहीं पहनने वालों को जेल वाहन में रखने के बाद शपथ दिलाकर छोड़ा गया। ● नईदुनिया

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन सख्ती के साथ जागरूकता के प्रयास भी कर रहा है। शुक्रवार रात 10 बजे से 56 घंटे का टोटल लाकडाउन शुरू हो गया। प्रशासन ने जरूरी चीजों के लिए छूट दी है। इधर मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती करते हुए उन्हें जेल वाहन में बनी अस्थायी जेल में एक से दो घंटे रख मास्क पहनने की शपथ लेने के बाद छोड़ा जा रहा है।

शुक्रवार को रंगपंचमी की मस्ती में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर यह सख्ती जारी रही। सुबह से प्रशासन व पुलिस के अधिकारी शहर में जेल वाहन लेकर घूमते रहे और नियम तोड़ने वालों को वाहन में रखा। कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, एसपी गौरव तिवारी ने भी शहर में कई जगह लोगों को बगैर मास्क पहने पकड़ा और अस्थायी जेल भेजा। इसके बाद उन्हें पुराने पुलिस कंट्रोल रूम पर लाकर सीएसपी हेमंत चौहान ने कोरोना गाइडलाइन के पालन व जागरूकता रखने की शपथ दिलाने के बाद छोड़ा गया। 100 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की गई।

### एक गली में दो से ज्यादा घरों में मरीज तो बनेगा कंटेनमेंट

प्रशासन ने अब कंटेनमेंट एरिया भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। यदि एक गली या मोहल्ले में पास-पास में दो या अधिक घरों में कोरोना मरीज मिलते हैं तो पूरा क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया बनाया जाएगा। शुक्रवार को दीनदयाल नगर की एक गली व काटजू नगर में माहेश्वरी हास्पिटल के पीछे वाली गली को इसी तर्ज पर कंटेनमेंट एरिया घोषित कर बेरीकेडिंग की गई।

### भोपाल से दल पहुंचा, आज बैठक में जानेंगे हालात

प्रदेश के चार जिलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होने के चलते मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने वहां भोपाल से अधिकारियों का दल भेजा है। इसमें रतलाम भी शामिल है। दल के सदस्य शुक्रवार रात रतलाम पहुंचे। कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने बताया कि शनिवार को स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक में जिले के हालात की जानकारी दी जाएगी। दल में आयुक्त चिकित्सा शिक्षा स्तर के अधिकारी हैं।

### प्रतिबंध और छूट इस तरह

- लाकडाउन में 45 से अधिक उम्र के व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्र पर आ जा सकेंगे।
- अति आवश्यक सेवाएं, दवाइयों की दुकानें एवं अस्पताल खुले रहेंगे।
- दूध वितरण सुबह 6 से 10 बजे तक एवं शाम को 4 से 7 तक घर पहुंच सेवा में किया जाएगा।
- सुबह 6:30 से 9:30 तक समाचार पत्रों का वितरण किया जा सकेगा।
- शीतलामाता मंदिरों में पुजारी करेंगे सांकेतिक पूजा।
- नगर निगम द्वारा संचालित दीनदयाल रसोई भी शनिवार व रविवार को बंद रहेगी। सोमवार को सिर्फ सिविक सेंटर स्थित केंद्र खुलेगा, त्रिपोलिया गेट व आंबेडकर मांगलिक भवन केंद्र बंद रहेंगे।
- रेल एवं बस के माध्यम से महाराष्ट्र, सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद से आने वाले लोगों को रतलाम शहर में प्रवेश के समय अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगी। रिपोर्ट ना दिखाने पर बाहरी क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए सात दिन होम आइसोलेट रहना होगा।
- खाद्य पदार्थ होटल या रेस्टोरेंट में बैठाकर खिलाना, पिलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। खाद्य पदार्थ पैकेट में ग्राहकों को दे सकेंगे।

## पिछली बार से ज्यादा खतरनाक, इसलिए सख्ती जरूरी, भीड़ में जाने से बचें, बार-बार साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें

अक्षय पालीवाल

कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर से बढ़ गई है। ये पहले दौर से भी ज्यादा खतरनाक है। हर दिन बड़ी संख्या में नए-नए इलाकों से संक्रमित सामने आ रहे हैं। शासन-प्रशासन को कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन कराना चाहिए। -अक्षय पालीवाल, युवा व्यवसायी घराड़

नेहा सिंह

कोरोना संक्रमण से बचाव में अभी मास्क और शारीरिक दूरी का पालन सबसे जरूरी है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ना चिंताजनक है। सभी को कड़ाई से कोविड-19 नियमों का पालन करना चाहिए। - नेहा सिंह, लैब तकनीशियन, बायोटेक्नोलाजी विभाग

डा. प्रफुल्ल सोनगरा

स्वयं के साथ दूसरों की सुरक्षा भी जरूरी है। इसलिए भीड़-भाड़ में जाने से बचें। बार-बार साबुन से हाथ धोएं। सैनिटाइजर का उपयोग करें। मास्क पहनकर शारीरिक दूरी का पालन करें। -डा. प्रफुल्ल सोनगरा, शासकीय मेडिकल कालेज

मीना पांडे

जिस तरह कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, वो काफी चिंता की बात है। अभी कोरोना से बचाव के लिए सभी लोगों को शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। मास्क लगाना अनिवार्य है। बाजार में भीड़-भाड़ से दूरी बनाना जरूरी है। - मीना पांडे

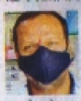

राजेश गोयल

लापरवाही बरतने से वर्तमान में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कई लोग जान बूझकर नादानी कर रहे हैं। इसका खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ रहा है। शासन-प्रशासन की सख्ती जरूरी है। - राजेश गोयल दवा व्यवसायी

हाजी रमजानी

कोरोना महामारी से बचाव के लिए आमजन में जागरूकता जरूरी है। अभी भी कई लोग बिना मास्क पहने बाजारों में घूम रहे हैं। इससे संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। -हाजी रमजानी, सब्जी व्यापारी

कृष्णलाल शर्मा

एक लापरवाही कई लोगों को मुसीबत में डाल सकती है। महामारी का यह दौर सतर्कता और सावधानी बरतने का है। कोरोना से लड़ने में मास्क ही हमारा हथियार है। - कृष्णलाल शर्मा, इको क्लब मास्टर ट्रेनर, रतलाम

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार अवन्तिका पृष्ठ 07 दिनांक 3/4/2021

# बगैर मास्क के घूमते पाए जाने पर सीधे भेजा जेल, प्रशासन की बड़ी कार्यवाही

दैनिक अवन्तिका ▸▸ रतलाम

बगैर मास्क के घूमना खतरनाक हो सकता है। अब प्रशासन ने बगैर मास्क के घूमते पाए जाने पर सीधे जेल भेजने की कार्यवाही शुरू कर दी है। राम मन्दिर चौराहे पर बगैर मास्क के पाए गए कई लोगों को सीधे जेल में डाल दिया गया। एसडीएम अभिषेक गेहलोत और सीएसपी हेमन्त सिंह चौहान ने शाम को राम मन्दिर के भीड़भाड़ भरे इलाके में मास्क को लेकर चैकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बगैर मास्क के गुजर रहे वाहन चालकों को पकड़ा गया। इन सभी लोगों को जेल तो भेजा गया,लेकिन यह जेल कुछ अलग थी। प्रशासन ने पुलिस के एक वाहन को अस्थाई जेल घोषित किया था। बगैर मास्क के घूम रहे लोगों को कुछ देर के लिए इस अस्थाई जेल में रखा गया और इसके बाद उन्हे मास्क लगाने की शपथ दिलाकर छोड दिया गया।

एसडीएम श्री गेहलोत नें बताया कि कोरोना के बढते संक्रमण पर काबू पाने के लिए मास्क ही एकमात्र उपाय है और आम लोगों में मास्क को लेकर जागरुकता लाने के लिए इस प्रकार की अस्थाई जेल का तरीका खोजा गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो जुर्माना और अस्थाई जेल जैसे कदम उठाए जा रहे है लेकिन अगर लोगों ने मास्क के प्रति गंभीरता ना दिखाई तो आने वाले दिनों में बगैर मास्क के पाए जाने पर धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

# शहर में बिना मास्क वालों को एक घंटे अस्थाई जेल में रखा गया, शपथ दिलाकर छोड़ा

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। शहर में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की है। रंगपंचमी के दिन ऐसे लोगों को स्टेशन रोड थाना परिसर में बनाई गई अस्थाई जेल लाया गया। जहां उन्हे 1 घंटे तक यहां रखने के बाद मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शपथ दिलवा कर छोड़ा गया। एसडीएम अभिषेक गहलोत और सीएसपी हेमंत चौहान ने शुक्रवार को मोर्चा संभाला। शहर के सभी थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए बगैर मास्क के घूम रहे लोगों को पकड़ कर स्टेशन रोड थाना परिसर में बनाई गई अस्थाई जेल लाया गया।

गौरतलब है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश पर गुरुवार रात भी बिना मास्क घूमने वाले लोगों को अस्थाई जेल भेजा गया था। वहीं, रंगपंचमी शहर के साथ ही सभी नगरीय क्षेत्रों में भी मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर चालानी कार्रवाई की जा रही है।

संकलन-नगर निगम, रतलाम अखबार पत्रिका ---पृष्ठ 08 दिनांक 3/4/2021

रतलाम में कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने भेजा दल

# कोरोना को 'डाउन' करने रात से रतलाम 'लॉक', बाहर न निकलें

## दूध और मेडिकल सुविधा को छोड़कर सब कुछ रहेगा बंद

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. जिले में लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए रतलाम में टोटल लॉकडाउन की फिर से शुरुआत हो गई। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दूध और मेडिकल की छूट रहेगी, इसके अतिरिक्त यदि कोई बिना काम के घरों के बाहर निकला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन को लेकर देर रात से पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दी थी जिसके चलते रात से ही सड़कें सुनसान हो गई।

वहीं दूसरी ओर रतलाम में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देख मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम सहित प्रदेश के जिन 4 स्थानों में संक्रमण अधिक है वहां राजधानी से दल रवाना किए हैं। रतलाम के अतिरिक्त खरगोन, बैतूल और छिंदवाड़ा जिला शामिल हैं। भोपाल से आया दल अधिकारियों से चर्चा करेंगे की कोरोना की रोकथाम के लिए अब तक यहां किस प्रकार की व्यवस्था की गई है और आगे की क्या रूप रेखा है।

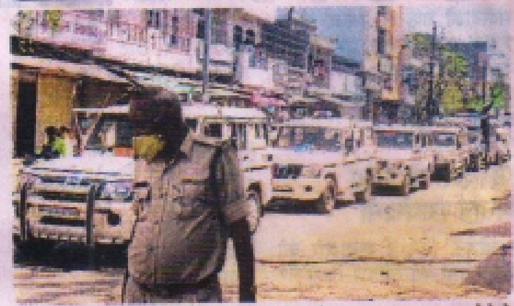

### अस्थाई जेल भेजा

पुलिस और प्रशासन द्वारा आम जनता को मास्क की हिदायत दी जा रही है लेकिन कई लोग अब भी इस से परहेज कर रहे हैं जिसके चलते गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी शहर एसडीएम अभिषेक गहलोत और सीएसपी हेमंत चौहान के द्वारा बिना मास्क घूम रहे लोगों को पकड़कर उन्हें अस्थाई जेल में बंद किया गया और चालान भी बनाएं। उक्त लोगों को छोड़ने के पहले उन्हें मास्क पहनने की शपथ भी दिलाई गई।

### दुकानें कराई बंद

रंगपंचमी के दिन भी बाजार में चाय, नाश्ते की दुकान खोलकर वहां पर भीड़ जमा करने वालों पर ही प्रशासन ने सख्ती दिखाई। बाजार में ऐसी दुकानों पर प्रशासनिक अमले ने भीड़ को हटाकर बंद कराया और चालानी कार्रवाई भी की गई। इसके अतिरिक्त प्रशासन ने इनके साथ ही आसपास के अन्य दुकानदारों को भी हिदायत दी कि कोई भी दुकान पर भीड़ को अनावश्यक जमा न होने दे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से कराया जाए।

### बाजार में लगी भीड़

अगले दो दिनों तक लॉकडाउन होने के चलते खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार में पहुंचे, जिसके चलते हर तरफ भीड़ सा माहौल नजर आने लगा। शाम को बाजार में फिर से भीड़ बढ़ने पर पुलिस और प्रशासन के साथ ही नगर निगम के अमले ने पैदल घूमना शुरू कर दिया और बिना मास्क वालों को रोककर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई।

### 79 नए मरीज मिले

मेडिकल कॉलेज से देर रात आई कोरोना जांच रिपोर्ट में 79 के करीब नए मरीज सामने आना बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही अब रतलाम में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5680 पर पहुंच गई है। एक्टिव केस की संख्या 600 से अधिक है जबकि 800 से अधिक संदिग्धों की कोरोना जांच रिपोर्ट आना अब भी शेष है। लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या के बाद भोपाल से रतलाम पहुंची टीम ने भी यहां के अधिकारियों से चर्चा कर लगातार तेजी से फैलते संक्रमण के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है। मरीजों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, उस पर भी अब नए सिरे से रणनीति बनाए जाने पर चर्चा चल रही है।

### दूध और दवा की रहेगी छूट

रतलाम शहर में शनिवार और रविवार के टोटल लॉकडाउन के दौरान लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन के द्वारा इन 2 दिनों के लिए दूध और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को सुचारु रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके अस्पताल आने और जाने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं रहेगी लेकिन कोई व्यक्ति बिना किसी काम के घर से बाहर घूमता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

### व्यापारियों से टीकाकरण की अपील

शहर में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती देख प्रशासन ने इससे बचाव के लिए 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यापारियों को कोविड-19 के टीकाकरण करवाने की अपील की है जिससे स्वयं तथा उनके परिवारजनों की इससे सुरक्षा हो सके। टीकाकरण के लिए 12 स्थान चिन्हित किए गए है जिनमें मेडिकल कॉलेज बंजली, बाल चिकित्सालय, सामुदायिक भवन अलकापुरी, डीआरपी लाईन, उपस्वास्थ्य केंद्र दिलीप नगर, रेलवे अस्पताल, अम्बेडकर भवन पोलोग्राउण्ड, पुराना कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित निजी अस्पताल भी शामिल है।

पत्रिका-3

# दो दिनी लॉकडाउन शुरू, आधा शुक्रवार रंगपंचमी, तो आधा खरीदारी में बीता, शराब दुकानों पर पाबंदी

## प्रमुख चौराहों पर पुलिस प्रशासन टीम रहेगी तैनात

भास्कर संवाददाता | रतलाम

कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए दो दिनी लॉकडाउन शुरू हो चुका है, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। 56 घंटे के इस लॉकडाउन के प्रतिबंधों और छूट को लेकर प्रशासन गाइडलाइन जारी कर चुका है। इसके मुताबिक दवाइयां, अस्पताल खुले रहेंगे। दूध की घर पहुंच सेवा चालू रहेगी, वह भी सिर्फ सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम को 4 से 7 बजे तक। इनके अलावा सभी प्रकार की दुकानें और संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। शुक्रवार को रंगपंचमी के कारण मुख्य बाजार बंद ही रहा, शाम को दुकानें खुलीं तो लोग सब्जी किराना लेने टूट पड़े।

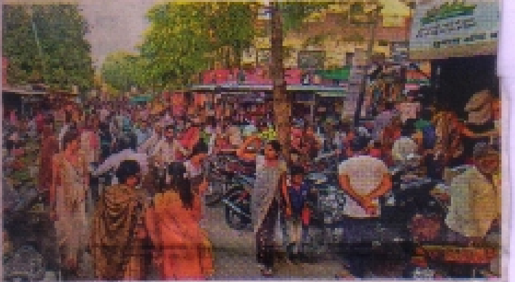

जवाहर नगर मंडी में सब्जी खरीदने वालों ने मास्क तक नहीं पहना।

**होगी चैकिंग -** लॉकडाउन को प्रभावी बनाने प्रशासन और पुलिस ने भी तगड़ी तैयारी की है। सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिस और प्रशासन की टीम तैनात रहेगी। यहां प्रत्येक वाहन को चेक किया जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात से आने वाले लोगों को स्क्रीनिंग कर प्रवेश दिया जाएगा।

**शराब दुकानें भी रहेंगी बंद -** 28 मार्च के लॉकडाउन से सबक लेते हुए प्रशासन ने इस बार शराब दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। शनिवार और रविवार को शहर की तमाम शराब दुकानें भी बंद रहेंगी। शुक्रवार को फीडबैक के बाद कलेक्टर ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं।

---

**स्वच्छ अभियान** • शुक्रवार से नगर निगम ने शुरू किया (अब ना कोई बहाना-मास्क है लगाना) अभियान

# मास्क बांटकर पहनने का तरीका बताएंगे सफाई मित्र

भास्कर संवाददाता | रतलाम

रंगोली बनाकर स्वच्छता के प्रति नागरिकों को जागरूक कर रहे सफाई मित्र अब मास्क बांटकर लोगों को उसे पहनने का सही तरीका भी बताएंगे। इसके लिए नगर निगम ने शुक्रवार से अब ना कोई बहाना-मास्क है लगाना अभियान की शुरुआत कर दी है। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर ज्यादा घातक साबित होती जा रही है। पहले दिन सफाई मित्र समूह ने पेट्रोल पंप, मंदिर परिसर, पुलिस थाना परिसर, जिला अस्पताल, बाल चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर लोगों को संक्रमण काल में मास्क की उपयोगिता बताई।

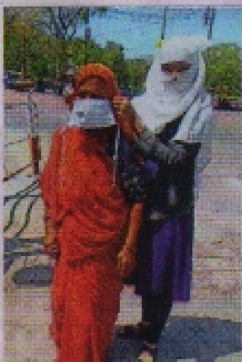

मास्क पहनने का तरीका बताती सफाई मित्र।

## नगर निगम बरतेगा सख्ती : खुले में गंदगी फैलाने वालों की सूचना स्पॉट फाइन दल को दें

नगर निगम ने स्पॉट फाइन दल का गठन कर दिया है। यह दल वाहन से शहर में भ्रमण कर खुले में गंदगी फैलाने और प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग करने वालों पर नजर रखकर उन पर कार्रवाई करेगी। नागरिक भी ऐसे व्यक्तियों की सूचना दल प्रभारी विराट मेहरा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक को फोन नंबर 9770326691 पर दे सकते हैं। इसके अलावा टीम में मनोज टांक (7000848456), पवन झांझोट (7000128812) आकाश शिंदे (9424075393), मनोज झांझोट (6268449110), राकेश ललावत (7000128812) को शामिल किया गया है।

**गंदगी मिली तो जोन प्रभारी, वार्ड दरोगा और सफाई कर्मचारी के विरुद्ध होगी कार्रवाई -** शहर के सभी 49 वार्ड जीरो वेस्ट बन चुके हैं। इसके बाद आयुक्त झारिया ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को साफ तौर पर कह दिया है कि वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाए जाने पर जोन प्रभारी, वार्ड दरोगा और संबंधित क्षेत्र के सफाई कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

भास्कर-3

## बचाव के लिए बांटे मास्क

रतलाम | कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते पूर्व पार्षद नजमा इक्का बैलूत ने जन्म दिन पर मास्क का वितरण किया। गणेश देवरी, बजाजखाना में मास्क बांटे और लोगों से इन्हें लगाने की सलाह दी। इस मौके पर इक्का बैलूत, विनोद राठौड़, बालमुकुंद चावड़ा, शहजाद खान, जोएफ आरिफ, शीतल सेन, विक्रम चौहान, सोनू सरदार, पंकज राठौड़, गोपाल गहलोत, कमल शिंदे, राजेश माहेश्वरी, राजू सिंधी, अजय करणी वाला, शिव पोरवाल सहित अन्य मौजूद थे।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– नईदुनिया पृष्ठ 05 दिनांक 3/4/2021

# तापमान 41 डिग्री... धोलावड़ डैम में पानी कम हुआ, दिखने लगा जेकवेल

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मार्च माह में तापमान 41 डिग्री तक पहुंचने के बाद अब अप्रैल में भी तेज गर्मी पड़ने के आसार हैं। बढ़ती गर्मी के कारण धोलावड़ जलाशय में भी पानी तेजी से घट रहा है। जलस्तर कम होने से माह के अंत में पानी खींचने के लिए मड़पंप लगाना पड़ सकते हैं। अभी इंटकवेल के आगे बने जेकवेल का ऊपरी हिस्सा दिखने लगा है।

अच्छी बारिश के बाद सितंबर 2020 के अंतिम सप्ताह तक शहर की जलआपूर्ति का एकमात्र स्रोत धोलावड़ जलाशय पूरी क्षमता (395) मीटर तक भरा था। सिंचाई के लिए पानी देने व गर्मी के कारण पानी कम होने से जलस्तर वर्तमान में 385.95 मीटर पर आ चुका है। पूर्ण क्षमता से लबालब हुआ जलाशय अभी 9 मीटर खाली हो चुका है।

**रखें तैयारी**

- **माह के अंत तक लगाना पड़ सकते है मड़पंप**
- **शहर में गर्मी के साथ पानी की मांग भी बढ़ेगी**

मालूम हो कि जलाशय पर बने इंटकवेल से पानी लेने के लिए दो पंप लगे हुए हैं। जलस्तर 388 मीटर से कम होने के बाद पानी जेकवेल से आने लगता है। जेकवेल व इंटकवेल के बीच की दूरी करीब 500 मीटर है। यहां भी पानी कम होने पर फ्लोटिंग प्लेटफार्म पर मड़पंप लगाकर पानी जेकवेल में लाकर वहां से इंटकवेल तक पहुंचाया जाता है। 384 मीटर के जलस्तर पर यह व्यवस्था करना पड़ सकती है। शहर में अभी 30 से 32 एमएलडी पानी प्रतिदिन जलाशय ले लिया जा रहा है। एक दिन में 35 एमएलडी पानी की आवश्यकता होती है। शेष आपूर्ति नलकूपों से सीधे बूस्टिंग के जरिये की जाती है। अप्रैल व मई में पानी की मांग बढ़कर 40 एमएलडी तक पहुंच जाएगी। इसमें मेडिकल कालेज व रेलवे को भी आपूर्ति देना होती है। ऐसे में जलाशय से पानी ज्यादा लेने पर जलस्तर भी तेजी से कम होगा।

**परिवहन से जल आपूर्ति में नहीं लगेंगे निजी टैंकर :** गत वर्ष की तरह इस बार भी परिवहन से जल आपूर्ति में नगर निगम अपने साधनों का ही उपयोग करेगा। निजी टैंकरों से जलआपूर्ति नहीं की जाएगी। निगम के चार व दो हजार लीटर वाले छोटे टैंकरों व फायर फाइटरों के जरिये आपूर्ति अभी भी की जा रही है। पूर्व में गर्मी में परिवहन से जल आपूर्ति पर ही 35 से 40 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक खर्च किए जाते थे। नगर निगम द्वारा पाइपलाइन व वाल्व लीकेज सुधारने के लिए भी अभियान चलाकर काम किया जा रहा है।

> अभी जलाशय में जेकवेल से पानी ले रहे हैं। जलस्तर कम हुआ है, लेकिन आपूर्ति पर कोई असर नहीं आएगा। जरूरत पड़ी तो मड़पंप लगाएंगे।
>
> –सत्यप्रकाश आचार्य, नगर निगम जलप्रदाय विभाग प्रभारी

धोलावड़ में जलस्तर कम होने से पानी इंटकवेल से दूर चला गया है। जेकवेल का ऊपरी हिस्सा भी दिखने लगा है। • नईदुनिया

संकलन—नगर निगम, रतलाम अखबार—नईदुनिया—पृष्ठ 11 दिनांक 3/4/202[illegible]

79 नए मरीज मिले, एक की मौत, औसतन 39 मरीज प्रतिदिन मिले

# कोरोना के कुल मरीजों में 22 प्रतिशत 32 दिनों में मिले

जीवांश अस्पताल में कार्रवाई करती हुई प्रशासन की टीम। ●नईदुनिया

शासकीय अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाती हुई महिलाएं। ●नईदुनिया

**रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)।** कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। शुक्रवार को 79 नए मरीज मिलने के साथ ही कुल मरीजों की संख्या 5680 हो गई है। वहीं एक की मौत हुई। एक मार्च को मरीजों की संख्या 4438 थी। इस मान से कुल मरीजों में 22 प्रतिशत मरीज गत 32 दिनों में मिले हैं। औसतन 39 मरीज प्रतिदिन मिले हैं। ऐसे में मास्क नहीं पहनने से लापरवाही भारी पड़ सकती है।

मालूम हो कि जिले में अब तक 95 मरीजों की मौत हो चुकी है। 4916 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 669 है।

**वैक्सीनेशन में तेजी आएगी तो कम होंगे मरीज :** जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है। गुरुवार को 4077 टीके लगाए गए थे, लेकिन शुक्रवार को यह संख्या 2989 ही रह गई। इसमें 45 से 59 वर्ष की उम्र वाले 2094 लोगों व इससे अधिक उम्र के 586 लोगों को टीका लगाया गया। शेष फ्रंटलाइन वर्कर को भी टीके लगाए गए।

**व्यापारियों से टीकाकरण की अपील**

जिला प्रशासन द्वारा कोरोना से बचाव के लिए 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यापारियों को कोविड-19 के टीकाकरण करवाने की अपील की गई है। शहर में मेडिकल कालेज बंजली, बाल चिकित्सालय, सामुदायिक भवन अलकापुरी, डीआरपी लाइन, उपस्वास्थ्य केन्द्र दिलीप नगर, रेलवे अस्पताल, आंबेडकर भवन पोलोग्राउंड, पुराना कलेक्ट्रेट कार्यालय, गीतादेवी अस्पताल 80 फीट रोड, श्रद्धा अस्पताल काटजू नगर तथा आरोग्यम अस्पताल कालेज रोड पर टीके लगेंगे।

## जीवांश हास्पिटल में बगैर अनुमति कोरोना मरीज का उपचार

**रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)।** कोरोना मरीजों को निजी अस्पताल में उपचार देने के लिए प्रशासन ने गाइडलाइन तय की है। इधर अस्सी फीट रोड स्थित जीवांश हास्पिटल में अनाधिकृत तौर पर एक महिला कोरोना मरीज का उपचार किया जा रहा था। प्रशासन को इसकी जानकारी मिलने पर शुक्रवार शाम करीब छह बजे डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन, स्वास्थ्य विभाग से आरएमओ डा. योगेश निखरा सहित अन्य अमला मौके पर पहुंचा और जांच की। जांच में कोरोना मरीज का उपचार किए जाने की बात सही पाई गई। प्रशासन के दल ने मौके पर दस्तावेज जब्त कर प्रकरण बनाया है। संचालक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कराने की तैयारी की गई है। जीवांश अस्पताल के संचालक को लेकर भी मौके पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। मरीज के स्वजन ने मेडिकल कालेज में उपचार को लेकर अविश्वास जताते हुए कहा कि प्रशासन जिम्मेदारी ले ले तो मेडिकल कालेज में भर्ती करा देंगे। मालूम हो कि जिला अस्पताल के कुछ डाक्टरों द्वारा जीवांश हास्पिटल में इलाज करने व मरीज रेफर किए जाने की शिकायतें पूर्व में भी कलेक्टर को की गई थी। एसडीएम शिराली जैन ने बताया कि दस्तावेजों के आधार पर कोरोना मरीज के उपचार की बात सही पाई गई है। संचालक की जानकारी जांच में पता चलेगी। मरीज को उपचार मिलता रहे, ऐसी व्यवस्था बनाकर आगे की कार्रवाई करेंगे।

> बगैर अनुमति अनधिकृत तरीके से कोरोना मरीज के उपचार के मामले में अस्पताल संचालक के खिलाफ पुलिस प्रकरण भी दर्ज कराया जाएगा।
>
> —गोपालचंद्र डाड, कलेक्टर

# लोक अदालत 10 अप्रैल के बजाए 8 मई को

रतलाम ● राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तिथि में परिवर्तन किया जाकर उक्त नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 मई को किया जावेगा। जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री पूनम तिवारी ने बताया कि 08 मई को नेशनल लोक अदालत के दिन अपने अधिवक्तागणों के माध्यम से या स्वयं न्यायालय के समक्ष प्रकरणों के निराकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करें जिससे कि न्यायालय में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जा सकें।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार प्रसारण ---पृष्ठ 02 ..दिनांक..3/4/....2021

# नगर निगम का आव्हान : अब ना करो बहाना, मास्क जरुर लगाना

## स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत नगर निगम ने स्वच्छता के साथ ही लोगों को कोविड से सावधान रहने का आव्हान रांगोली के माध्यम से किया

प्रसारण न्यूज • रतलाम

देश, प्रदेश और शहर में में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में 'दो गज की दूरी, मास्क भी जरूरी' स्लोगन को ही सच्चाई के साथ स्वीकार करना होगा। इसी से हम स्वयं बचेंगे और समाज के लोगों को भी रोग से बचा सकेंगे। ऐसे में लोगों से अनुरोध किया जाता है कि अपने घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के साथ ही मास्क का उपयोग, दो गज की दूरी और हाथों को सैनेटाईज करें।

कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश पर शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान रांगोली के माध्यम से नागरिकों को मास्क, दो गज की दूरी और सैनेटाईजर का महत्व समझाया गया है।

झारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी के संदेश को पूरी तरह पालन कराने के लिए नगर निगम प्रशासन सभी को जागरूक करने में सतत जुटा है। इसके लिए मेरे सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय से लेकर अन्य सरकारी कामकाज के दौरान मास्क का प्रयोग अनिवार्य तौर पर कर रहे हैं। साथ ही दूसरों को भी इसके प्रयोग के लिए प्रेरित करते हैं।

'उन्होंने नगर निगम के इस 'अब न कोई बहाना मास्क है लगाना' अभियान की शुरुवात को लेकर कहां कि मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ ही उसकी साफ-सफाई और पहनने के सही तरीके का पालन करना भी बहुत जरूरी है। इस मौके पर स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने नागरिकों को मास्क का वितरण करते हुए इसे सही तरीके से पहनने का आव्हान भी किया। साथ ही समझाईश भी दी कि रंगपंचमी सहित अन्य त्यौहार अपनों के बीच ही मनाए, क्यूकि ये समय की मांग है और स्वयं के साथ ही दूसरो को भी कोविड संक्रमित होने से बचाए।

आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश और स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह के मार्गदर्शन में आज सफाई मित्र समूह की टीम ने नगर के गांधी नगर, काटजूनगर सहित 100 से ज्यादा स्थानों पर रांगोली के माध्यम से कोविड से बचाव का संदेश रांगोली के माध्यम से देते हुए आसपास के लोगों को संकल्प भी दिलाया कि वे अपनी और अपने परिवार के साथ ही शहरवासियों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए कोविड से बचाव के साधनों को अपनाएंगें।

प्रसारण - 3

# नगर निगम का आव्हान: अब ना करो बहाना, मॉस्क जरूर लगाना

रतलाम ● स्वदेश समाचार

देश, प्रदेश और शहर में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में "दो गज की दूरी, मॉस्क भी जरूरी' स्लोगन को ही सच्चाई के साथ स्वीकार करना होगा। इसी से हम स्वयं बचेंगे और समाज के लोगों को भी रोग से बचा सकेंगे। ऐसे में लोगों से अनुरोध किया जाता है कि अपने घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के साथ ही मास्क का उपयोग, दो गज की दूरी और हाथों को सेनिटाइज करे। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी के संदेश को पूरी तरह पालन कराने के लिए नगर निगम प्रशासन सभी को जागरूक करने में सतत् जुटा है। इसके लिए मेरे सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय से लेकर अन्य सरकारी कामकाजे के दौरान मास्क का उपयोग अनिवार्य तौर पर कर रहे हैं। साथ ही दूसरों को भी इसके प्रयोग के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने नगर निगम के इस 'अब न कोई बहाना मास्क है लगाना' अभियान की शुरुआत को लेकर कहां कि मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ ही उसकी साफ-सफाई और पहनने के सही तरीके का पालन करना भी बहुत जरूरी है।

इस मौके पर स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी.सिंह ने नागरिकों को मॉस्क का वितरण करते हुए इसे सही तरीके से पहनने का आव्हान भी किया। सफाई मित्र समूह की टीम ने नगर के गांधी नगर, काटजूनगर सहित 100 से ज्यादा स्थानों पर रांगोली के माध्यम से कोविड से बचाव का संदेश रांगोली के माध्यम से देते हुए आसपास के लोगों को संकल्प भी दिलाया कि वे अपनी और अपने परिवार के साथ ही शहरवासियों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए कोविड से बचाव के साधनों को अपनाएंगें।

स्वदेश - 3

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार अवन्तिका --पृष्ठ 01 ...दिनांक 3/4/2021

अवन्तिका-3

# न.नि. का आव्हान, अब ना करो बहाना, मास्क जरुर लगाना

**स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत नगर निगम ने स्वच्छता के साथ ही लोगों को कोविड से सावधान रहने का रांगोली के माध्यम से किया आव्हान**

'दैनिक अवन्तिका' ▸▸ रतलाम

देश, प्रदेश और शहर में में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में 'दो गज की दूरी, मास्क भी जरूरीइ स्लोगन को ही सच्चाई के साथ स्वीकार करना होगा। इसी से हम स्वयं बचेंगे और समाज के लोगों को भी रोग से बचा सकेंगे। ऐसे में लोगों से अनुरोध किया जाता है कि अपने घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के साथ ही मास्क का उपयोग, दो गज की दूरी और हाथों को सैनेटाईज करे।

कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश पर शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत जागरुकता कार्यक्रमों के दौरान रांगोली के माध्यम से नागरिकों को मास्क, दो गज की दूरी और सैनेटाईजर का महत्व समझाया गया है।

झारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी के संदेश को पूरी तरह पालन कराने के लिए नगर निगम प्रशासन सभी को जागरूक करने में सतत जुटा है। इसके लिए मेरे सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय से लेकर अन्य सरकारी कामकाज के दौरान मास्क का प्रयोग अनिवार्य तौर पर कर रहे हैं। साथ ही दूसरों को भी इसके प्रयोग के लिए प्रेरित करते हैं।

उन्होंने नगर निगम के इस 'अब न कोई बहाना मास्क है लगानाइ अभियान की शुरुवात को लेकर कहा कि मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ ही उसकी साफ-सफाई और पहनने के सही तरीके का पालन करना भी बहुत जरूरी है। इस मौके पर स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने नागरिकों को मास्क का वितरण करते हुए इसे सही तरीके से पहनने का आव्हान भी किया। साथ ही समझाईश भी दी कि रंगपंचमी सहित अन्य त्यौहार अपनों के बीच ही मनाए, क्युकि ये समय की मांग है और स्वयं के साथ ही दूसरों को भी कोविड संक्रमित होने से बचाए।

## सौ से अधिक स्थानों पर दिया गया संदेश

आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश और स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह के मार्गदर्शन में आज सफाई मित्र समूह की टीम ने नगर के गांधी नगर, काटजूनगर सहित 100 से [illegible]दा स्थानों पर रांगोली के माध्[illegible] से कोविड से बचाव का संदेश र[illegible]ली के माध्यम से देते हुए आस[illegible]स के लोगों को संकल्प भी दिलाया कि वे अपनी और अपने परिवार के साथ ही शहरवासियों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए कोविड से बचाव के साधनों को अपनाएंगें।

# नगर निगम का आव्हान: अब ना करो कोई भी बहाना, मास्क जरूर लगाना

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

**रतलाम.** देश, प्रदेश और शहर में में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में 'दो गज की दूरी, मास्क भी जरूरी' स्लोगन को ही सच्चाई के साथ स्वीकार करना होगा। इसी से हम स्वयं बचेंगे और समाज के लोगों को भी रोग से बचा सकेंगे। ऐसे में नगर निगम ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए अपने घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के साथ ही मास्क का उपयोग, दो गज की दूरी और हाथों को सैनेटाईज करें का सामाजिक अभियान शुरू किया है जिसमे संकल्प दिलाए जा रहे है।

नगर निगम के इस 'अब न कोई बहाना मास्क है लगाना' अभियान की शुरुवात को लेकर अधिकारियों ने कहा कि मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ ही उसकी साफ-सफाई और पहनने के सही तरीके का पालन करना भी बहुत जरूरी है। इस मौके पर स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने नागरिकों को मास्क का वितरण करते हुए इसे सही तरीके से पहनने का आव्हान भी किया।

> शहर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। अब स्वच्छता के साथ साथ मास्क का उपयोग बेहद जरूरी है। इसके लिए जागरुकता का अभियान चलाया गया है। - **सोमनाथ झारिया, आयुक्त**

आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश और स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह के मार्गदर्शन में सफाई मित्र समूह की टीम ने नगर के गांधी नगर, काटजूनगर सहित 200 से ज्यादा स्थानों पर कोविड से बचाव का संदेश रांगोली के माध्यम से देते हुए आसपास के लोगों को संकल्प भी दिलाया कि वे अपनी और अपने परिवार के साथ ही शहरवासियों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए कोविड से बचाव के साधनों को अपनाएगें।

पत्रिका-5